छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024–25

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

1.	विभाग का नाम	:	वित्त विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री ओ. पी. चौधरी

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

सचिव	:	श्री मुकेश कुमार बंसल
विशेष सचिव	:	1. श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
विशेष सचिव बजट	:	2. श्री चंदन कुमार
अपर सचिव	:	श्री डॉ. ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव	:	1. श्री अतीश पाण्डेय
	:	2. श्री गिरीश कुमार कोल्हे
उप सचिव	:	1. श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी
:	:	2. श्री आनंद मिश्रा
	:	3. श्री ऋषभ पाराशर
	:	4. श्री राजशेखर शर्मा
	:	5. श्री सीताराम तिवारी
अवर सचिव	:	1. श्री रोमन गंगाकचूर
	:	2. श्री इन्द्रप्रकाश रात्रे
	:	3. श्री कृष्णकांत खरान्शु
	:	4. श्री राजीव कुमार झाड़े
	:	5. श्री बदन कुमार ठाकुर
	:	6. श्रीमती शांता खरे
	:	7. श्रीमती हिमशिखा साहू
	:	8. श्रीमती मंजुला लकड़ा
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री निखिल कुमार अग्रवाल
	:	2. श्री धर्मेन्द्र पटेल
	:	3. श्री उत्कल कुमार शर्मा
	:	4. श्री लोकेन्द्र कुमार साहू
	:	5. श्री सलिल साहू
	:	6. श्री सवेश्वर गर्ग

<u>विभागाध्यक्ष</u>

1.	संचालक, कोष एवं लेखा	:	श्री रितेश अग्रवाल
2.	संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि	:	श्री रितेश अग्रवाल
3.	संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	:	सुश्री पुष्पा साहू
4.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
5.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्री चंदन कुमार

विषय–सूची

क्र.	अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग	1 से 8 तक
2.	विभागाध्यक्ष	1. संचालनालय, कोष एवं लेखा	9 से 17 तक
		2. संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि	18 से 26 तक
		3. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	27 से 36 तक
		4. संचालनालय, संस्थागत वित्त	37 से 43 तक
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	44 से 45 तक

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 विभागीय भूमिका :– छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 से 33 तक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

नियम 11 (एक) कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो –

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

(तीन) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जावेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं.

(चार) उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिये.

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में निविर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

नियम –26 वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों का प्रभारी रहेगा :–

(एक) वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा.

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिये तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा.

(तीन) वह, करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा.

(चार) वह, राज्य द्वारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह, ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा.

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिये समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाते हैं.

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

(सात) वह, बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में –

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगी,
''परन्तु यह कि योजना व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय योजना विभाग से परामर्श किया जायेगा और ये प्राक्कलन यथासंभव उस विभाग द्वारा सुझाए गए आबंटन के अनुसार होंगे, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो तो उन्हें, योजना विभाग की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट रूप से परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा.''

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिये, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इन्कार करेगा,

(घ) वह, विधानमण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष तथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्यान्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिये या आगे व्यय नहीं करने के लिये अपेक्षा करेगा.

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा.

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा.

नियम –27 ऐसे किसी पुनर्विनियोग को, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, मंजूर करने वाले किसी भी विभाग द्वारा पारित समस्त आदेशों की प्रतियां, आदेशों के पारित होते ही, उक्त विभाग को भेजी जाएगी.

नियम –28 विशेष रूप से तथा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित विषय राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विषय समझे जायेंगे –

(क) व्यय के लिये विनियोजित किए जाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत रकम से अधिक व्यय करना

(ख) लोक–धन से या भविष्य निधि के निक्षेप से किसी शासकीय कर्मचारी को अग्रिम मंजूर करना

(ग) किराया–मुक्त रियायत मंजूर करना

(घ) विभाग द्वारा निवृत्ति वेतन या अनुकम्पा भत्ते मंजूर करना

(ङ) वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से बनाये गये किसी नियम को शिथिल करना

(च) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर प्रभावित व्यय के रूप में घोषित करने के लिये या किसी ऐसे व्यय की रकम में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव

(छ) शासन के ऋणी स्थानीय निकायों के बजट की पुष्टि करने संबंधी मामले

(ज) भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार को विनियमित करने वाले नियमों का कोई भी उपांतरण

(झ) विषय से संबंधित नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार के लिये प्रस्ताव

(त्र) उद्योग को राज्य सहायता या तकाबी अग्रिमों की मंजूरी को विनियमित करने वाले अधिनियमों या नियमों में कोई भी सारभूत उपांतरण

(ट) कर–निर्धारण प्रणालियों में यह विद्यमान कराधान, भू–राजस्व या सिंचाई देयों के उच्चतम परिमाण (पिच) में कोई सारभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

नियम –29 कार्य नियम 11 द्वारा विहित परामर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये गये उसके मत, उस विभाग के, जिसका कि वह मामला हो, अभिलेख में दर्ज किए जायेंगे और वे उस मामले के अभिलेख के भाग होंगे.

नियम –30 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री उस मामले के संबंध में, जिसमें कार्य नियम 11 (एक) या (तीन) में उल्लिखित कोई विषय अन्तर्वलित हो, कोई भी कागज–पत्र मंगवा सकेगा और वह मंत्री, जिससे ऐसी मांग की गई हो, कागज–पत्रों को भेजेगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन मांगे गए कागज–पत्रों की प्राप्ति पर वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री यह निवेदन कर सकेगा कि उक्त कागज–पत्र, उन पर उसकी टिप्पणी सहित, परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे.

नियम –31 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री किसी भी अन्य विभाग से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकेगा, जिसे वह वित्त विभाग उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे.

(2) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री, समस्त विभागों में सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभाग के कार्य को और अन्य विभागों का वित्त विभाग के साथ संव्यवहार को विनियमित करने के लिये नियम उस सीमा तक बना सकेगा जहां तक कि ऐसे नियम वित्त विभाग को किसी भी अधिनियम या उचित प्राधिकार के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों द्वारा उसको सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्थ बनने के लिए अपेक्षित हों और अन्य विभागों के भारसाधक मंत्री यह देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके विभागों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है.

नियम –32 ऐसे किसी प्रस्ताव की छानबीन करते समय, जिस पर कार्य नियम, 11 या किसी सहायक नियम के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया गया हो, उस विभाग का ऐसी स्थिति में यह बताना कर्तव्य होगा जबकि प्रस्ताव में किसी वित्तीय सिद्धांत का या वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित प्रनियमों में से किसी भी प्रनियम का उल्लंघन अन्तर्वलित हो –

(एक) प्रत्येक लोक अधिकारी को शासकीय धन से किये जाने वाले व्यय पर वैसी ही सतर्कता बरतनी चाहिए, जैसी सतर्कता एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है.

(दो) कोई भी प्राधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिये नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता हो.

(तीन) शासकीय धन का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के किसी वर्ग के फायदे के लिये तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि –

(1) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो, या

(2) रकम का दावा किसी न्यायालय में प्रवर्तित न किया जा सकता हो, या

(3) व्यय मान्य नीति या परम्परा के अनुसरण में न हो.

(चार) भत्तों की रकम, जैसे यात्रा भत्ते, जो कि किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिये मंजूर की गई हो, इस प्रकार विनियमित की जाए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता के लाभ के साधन न हो जाये.

नियम –32–क अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 32 के अधीन वित्त विभाग को परामर्श के लिये भेजे गए प्रत्येक मामले में वह विभाग अधिकतम पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपने मत के साथ उसे विभाग को लौटाएगा. यदि इस समयावधि में मामला वापिस करना संभव न हो तो वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मामले में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से चर्चा कर मामले के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेंगे.

नियम –33 वित्त विभाग को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि विशिष्ट विभागों में व्यय की लेखा–परीक्षा को प्राप्तियों की लेखा–परीक्षा द्वारा किस सीमा तक सहायता पहुंचाई जाए.

टिप्पणी – वित्त विभाग द्वारा कार्य नियम के अधीन किए गए प्रत्यायोजन तथा बनाए गए नियम वित्त विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए गए हैं।

1.2 विभागीय संरचना :–

बजट कार्य के लिए विभाग में 5 बजट शाखाएं (संसाधन शाखा सहित) है, इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आबंटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। राज्य संसाधन शाखा में शासन के ऋणों का संधारण, पुनर्भुगतान एवं प्रबंधन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। वित्त आयोग (केन्द्रीय एवं राज्य) प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग को वांछित जानकारी तैयार कर प्रेषित करने, राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन (मेमोरेण्डम) तैयार करने एवं अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अनुसंगिक कार्यवाही संपादित की जाती है।

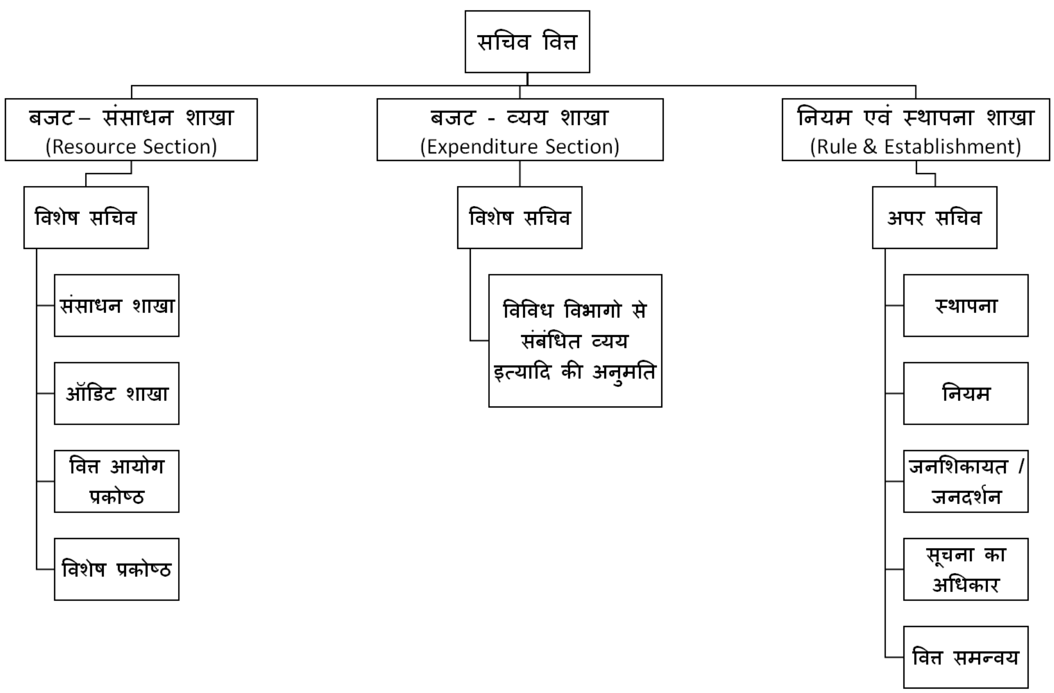

1.3 वित्त विभाग का दायित्व एवं कार्य :–

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन सहित सभी कमिटेड खर्चो की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना विभाग का दायित्व है। इसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

(1) लोक–कल्याणकारी योजनाओं एवं कमिटेड खर्चों हेतु आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना

(2) बजट संसाधनों में दर्शित लोक ऋणों की प्राप्ति, उनके भुगतान एवं राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर लोक ऋणों का समुचित प्रबंधन

(3) अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु समुचित प्रयास

(4) विधानसभा से बजट पारण एवं सर्वसंबंधित विभागों को व्यय हेतु बजट आबंटन जारी करना

(5) शासकीय राशि का मितव्ययितापूर्ण एवं गुणवत्तापरक व्यय सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करना

(6) राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना

(7) राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना

(8) केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य की ओर से केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिए मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना

(9) राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का विस्तार

(10) छत्तीसगढ़ राज्य के निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही।

(11) संचालक, ''छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा'' द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करना।

वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय

1. संचालनालय, कोष एवं लेखा
2. संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि
3. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
4. संचालनालय, संस्थागत वित्त
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली

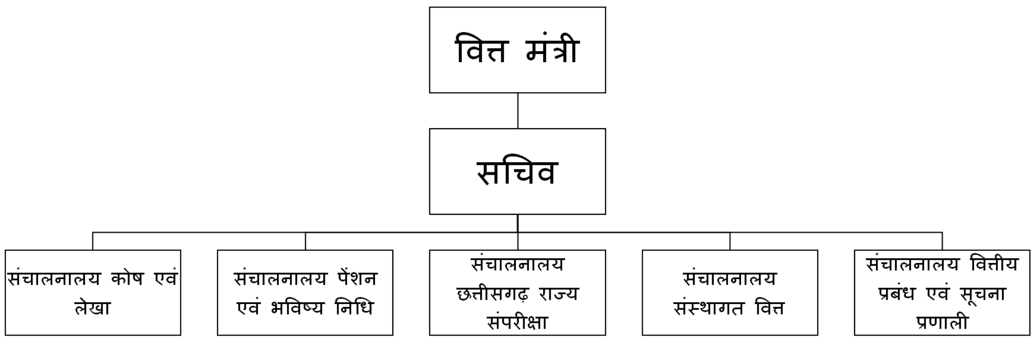

वित्त विभाग अंतर्गत पदानुक्रम

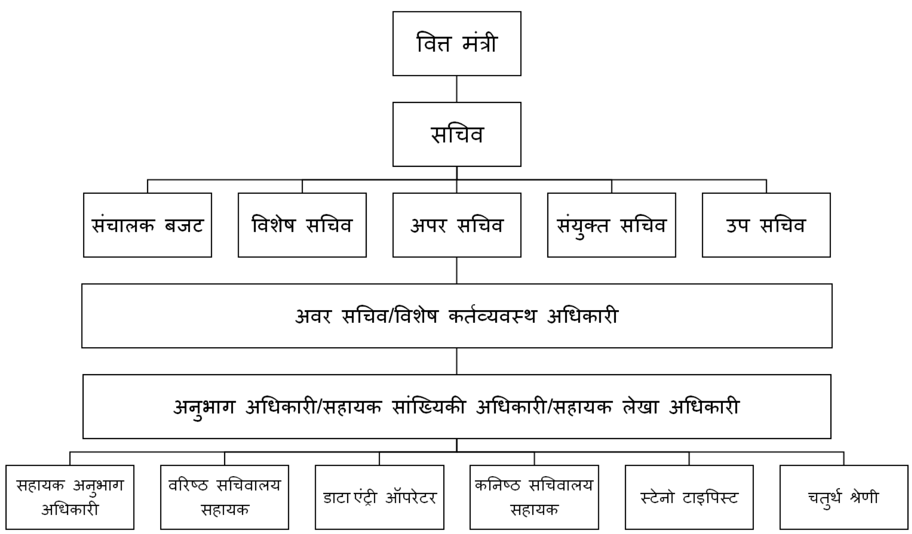

संचालनालय, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, प्रथम तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–एक – सामान्य जानकारी

संचालनालय, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं।

1 अधीनस्थ कार्यालय :–

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अंतर्गत 01 ऑडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय, 33 जिला कोषालय एवं 01 इन्द्रावती कोषालय, 34 उप कोषालय तथा 05 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

2 स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय, कोष एवं लेखा ऑडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है :–

(अ) संचालनालय कोष एवं लेखा के स्वीकृत पदों की जानकारी –

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त / संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
02	वित्त नियंत्रक	लेवल – 16	प्रथम श्रेणी	01
03.	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	02
04.	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	08
05.	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	28
06.	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
07.	सहायक संचालक / कोषालय अधिकारी / अति.कोषालय अधिकारी / प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	41
08	वरिष्ठ व्याख्याता	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	01
09.	प्रोग्रामर	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	03
10.	सहायक प्रोग्रामर	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	32
11.	सहायक कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी / सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	136
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	लेवल – 11	तृतीय श्रेणी	01
13.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	02
14.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	09
15.	कार्यालय अधीक्षक	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	01
16.	कार्यालय अधीक्षक	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	03
17.	सहायक ग्रेड–1	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	101
18.	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	257
19.	निरीक्षक (बीमा)	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	02
20.	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	324
21.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	50

22.	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	18
23.	दफ्तरी	लेवल – 02	चतुर्थ श्रेणी	39
24.	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	175
25.	चौकीदार	कलेक्टर दर		08
26.	वाटरमैन	कलेक्टर दर		40
27.	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर		43
	योग			**1327**

(ब) संचालनालय, कोष एवं लेखा (ऑडिट प्रकोष्ठ) के स्वीकृत पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
4	सहायक संचालक	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	08
5	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	16
6	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	02
7	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	04
8	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	08
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	08
10	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	04
11	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	05
	योग			**60**

3 मुख्य कर्तव्य :–

3.1 कोष प्रचालन :– छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 05 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 33 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय अटल नगर नवा रायपुर तथा 34 उप कोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

3.2 सामान्य भविष्य निधि :– राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि को अंतिम भुगतान ''**ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम**'' के माध्यम से किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत सामान्य भविष्य निधि को अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र भी ऑनलाईन जारी किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक में राशि का प्रतिमाह अंशदान निकासी एवं अंतशेष का विवरण प्रतिमाह एस.एम.एस. के माध्यम से अभिदाताओं को प्राप्त हो रहा है।

3.3 कोष निरीक्षण :– राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

3.4 संवर्ग प्रबंधन :– राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग–1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है।

3.5 लेखा प्रशिक्षण :–राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 05 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

3.6 ऑडिट प्रकोष्ठ :– आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है।

3.7 विभागीय निरीक्षण :– कोषालय संहिता अनुभाग–03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 33 जिला कोषालय, 05 लेखा प्रशिक्षण शालाएं एवं 34 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, संभागीय जिला कोषालयों का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाता है।

संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा अनुमोदित रोस्टर अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण निम्नानुसार है –

स. क्रं.	माह	संभागीय संयुक्त संचालक	जिला कोषालय	उपकोषालय
1.	जून, 2024	––	रायगढ़	––
2.	जुलाई, 2024	––	महासमुंद / गरियाबंद	––
3.	अगस्त, 2024	––	राजनांदगांव	डभरा
4.	सितम्बर, 2024	रायपुर / जगदलपुर	रायपुर / जगदलपुर	––
5.	अक्टूबर, 2024	बिलासपुर	बिलासपुर	घरघोड़ा
6.	नवम्बर, 2024	––	इन्द्रावती कोषालय	बगीचा
7.	दिसम्बर 2024	दुर्ग	बीजापुर / दुर्ग	––
8.	जनवरी, 2025	––	सूरजपुर	अंतागढ़
9.	फरवरी, 2025	अंबिकापुर	अंबिकापुर	––

टीपः– सं.क्र. 01 से 04 (संभागीय संयुक्त संचालक जगदलपुर, जिला कोषालय जगदलपुर के अतिरिक्त) तक के कार्यालयों का संचालनालय द्वारा निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है एवं सभी नामांकित कार्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है।

3.8 विभागीय परीक्षाएं :– संचालनालय, कोष एवं लेखा नवा रायपुर अटल नगर द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन विभागीय परीक्षाएं नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता हैः–

1. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा,
2. छ.ग. राज्य वित्त लेखा सेवा परीक्षा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–1 एवं भाग–2
3. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–1 एवं भाग–2
4. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (कोषालयीन एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के संवर्ग में नियुक्ति हेतु विभागीय परीक्षा) भाग–1 एवं भाग–2

वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर तक निम्नानुसार परीक्षाओं का आयोजन किया गया हैः–

(अ) छ.ग.राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को विभागीय परीक्षा भाग–1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अगस्त– 2024 दिनांक 22.08.2024 से 30.08.2024 तक	11	11	–	11	10	01

(ब) छ.ग.राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों विभागीय परीक्षा भाग–2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अगस्त–2024 दिनांक 22.08.2024 से 30.08.2024 तक	02	02	–	02	02	–

(स) छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को विभागीय परीक्षा भाग–1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अगस्त–2024 दिनांक 23.08.2024 से 30.08.2024 तक	36	36	–	36	36	–

(द) छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को विभागीय परीक्षा भाग–2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
अगस्त–2024 दिनांक 23.08.2024 से 30.08.2024 तक	14	14	–	14	10	04

(इ) लेखा प्रशिक्षण परीक्षा

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी–2024 दिनांक 27.02.2024 से 07.03.2024 तक	246	238	08	246	159	87

3.9 सूचना का अधिकारः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों (माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक) पर संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रकार	कुल प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत किये गये आवेदन	कुल अस्वीकृत आवेदन	कुल निराकृत प्रकरण
1	जानकारी प्राप्त करने हेतु 6(1) के तहत ऑफलाईन आवेदन	101	97	04	97

2	जानकारी प्राप्त करने हेतु 6(1) के तहत ऑनलाईन आवेदन	32	32	0	32
3	प्रथम अपील हेतु आवेदन	09	09	00	09
4	द्वितीय अपील हेतु आवेदन	00	00	00	00

3.10 प्रशिक्षणः–

परिवीक्षाधीन राज्य वित्त सेवा /अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण विवरणः–

सं.क्रं	अधिकारियों का विवरण	बैच	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या
01	राज्य वित्त सेवा अधिकारी	2024	01 आधारभूत प्रशिक्षण 02 परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम भाग–01 03 परिचयात्मक कार्यक्रम भाग–02	04
02	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	2024	01 आधारभूत प्रशिक्षण 02 परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम	25
			कुल अधिकारियों की संख्या	**29**

4. उपलब्धियाँ :–

4.1 **कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण** :– राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय–व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज–लाईन के माध्यम से ऑनलाईन नेट–वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय–व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में **''ई–कोष''** लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे कि डिपॉजिट, ई–कर्मचारी, ई–पेरोल, ई–पेमेंट, पंजी एवं कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01.04.2017 से पूर्णतः केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था **साईबर ट्रेजरी** प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिला एवं उप कोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय–व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

4.2 **ई–चालान की सुविधा** :– राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इंद्रावती कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रिानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह

सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कार्पोरेशन बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।

वर्तमान में ई–चालान के साथ–साथ राजस्व प्राप्ति का सही लेखांकन हेतु (OTC) Over the counter माध्यम से चालान को जनरेट कर चेक के माध्यम से बैंक में जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्क्रॉलिंग संबंधित कोषालयों से लिंक की जायेगी।

4.3 **ई–कुबेर के माध्यम से ई–भुगतान** :– दिनांक 01.06.2022 से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कोषालयों तथा उपकोषालयो द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के "ई–कुबेर" प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान प्रारंभ किया गया है। इस सुविधा से खाता धारकों को उनके खाते में राशि का अंतरण कम समय में किया जा रहा है।

4.4 SNA SPARSH :- भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप 28 केन्द्रीय योजनाओं हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान किया जाना है। इनमें से योजनाओं की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर योजनाओं के लिये भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य 07 राज्यों में से एक राज्य है जिसने सफलतापूर्वक प्रक्रिया से भुगतान प्रारंभ किया है।

4.5 **e-Kosh & e-Works Integration :-** कार्य विभागों द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय स्वयं चेक के माध्यम से किया जाता है, उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित व्यय की जानकारी e-kosh में प्राप्त नहीं हो पाती थी। वर्तमान में निर्माण विभागों के e-works software का integration e-kosh के साथ किया गया है, जिससे उक्त विभागों के व्यय का संपूर्ण विवरण e-kosh portal में प्रदर्शित होता है।

5. ऑडिट प्रकोष्ठ :–छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 923/782/2013/स्था./चार, दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है।

"ऑडिट प्रकोष्ठ" द्वारा राज्य के समस्त विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाकर विभागों में आर्थिक हानि, वित्तीय अनियमितता तथा वित्तीय नियमों की उपेक्षा आदि से संबंधित प्रकरणों को कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/शासन के ध्यान में लाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्व नियोजित एवं योजनाबद्ध अंकेक्षण राज्य के विभिन्न कार्यालयों के वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन दिसम्बर 2024 की स्थिति में कुल 93 जिला कार्यालयों का किया गया है। शेष कार्यालयों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन माह मार्च 2025 तक पूर्ण किया जावेगा।

भाग–2 बजट एक दृष्टि में–

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

वित्तीय वर्षः 2024–25 | दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में

(राशि रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	शेष	व्यय का प्रतिशत
1	(4192)	समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	28,00,00,000	0	28,00,00,000	0
2	(4198)	समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	38,00,00,000	0	38,00,00,000	0
3	(4209)	परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	6,50,00,000	0	6,50,00,000	0
		योग 2054	72,50,00,000	0	72,50,00,000	0
मांग संख्या–06, 2054–राजकोष और लेखा प्रशासन						
4	(1026)	खजाना स्थापना	59,63,97,000	32,98,03,227	2,66,59,3773	55.30
5	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन	23,79,03,532	12,81,39,857	10,97,63,675	53.86
6	(3843)	लेखा प्रशिक्षण शाला	2,28,07,000	1,02,75,160	1,25,31,840	45.05
7	(4307)	संभागीय स्थापना	11,10,37,000	6,89,24,444	4,21,12,556	62.07
8	(8904)	ऑडिट प्रकोष्ठ	5,29,47,000	2,04,28,308	3,25,18,692	38.58
9	(7919)	छ.ग. लोक वित्त प्रबंधन	9,58,63,668	8,63,468	9,50,00,200	0.90
		योग 2054	**1,11,69,55,200**	**55,84,34,464**	**55,85,20,736**	**50.00**
मांग संख्या–06, 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी						
10	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का क्रय)	13,00,000	0	13,00,000	0
		योग 4070	**13,00,000**	0	**13,00,000**	0
		महायोग	**1,84,32,55,200**	**55,84,34,464**	**1,28,48,20,736**	**30.30**

भाग–तीन

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

भाग–चार– सामान्य प्रशासनिक विषय :– निरंक ।

भाग–पांच – अभिनव योजना

01. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पूर्णतया Online किया गया है, जिसमें आहरण संवितरण स्तर से सामान्य भविष्य निधि का प्रकरण आनलाईन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, तत्पश्चात् महालेखाकार कार्यालय से Online Digital हस्ताक्षर युक्त अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है, उक्त digital हस्ताक्षर युक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर ही कोषालयों से सीधे सेवानिवृत्त शासकीय सेवको के बैंक खातों में राशि अंतरित कर दी जाती है। उक्त कार्य जिला कोषालय रायपुर में दिनांक 01/11/2020 से प्रारंभ किया गया तथा दिनांक 01/04/2021 से समस्त राज्य में Online GPF Final Payment प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया।

02. e-Vouchers and e-Accounts **:-** 01 जुलाई, 2024 से सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (self DDO को छोड़कर) राज्य के सभी कोषालय में देयकों का प्रस्तुतीकरण सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है तथा कोषालयों द्वारा महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक लेखे को ई–लेखे के रूप में प्रेषित किया जा रहा है। इससे महालेखाकार कार्यालय में कम समय में लेखे का संकलन करना संभव हुआ है।

भाग–छः– विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन :– निरंक ।

भाग–सात– अन्य विवरण

समूह बीमा योजना –

स क्र.	डेबिट शीर्ष	वर्ष 2024–25 में प्रावधानित राशि (राशि रूपये में)
01	2049–03–108–0000–4192–35–002 बीमा निधि	28,00,00,000
02	2049–03–108–0000–4198–35–002 बचत निधि	38,00,00,000
03	2049–03–108–.0000–4209–35–002 एफ.बी.एफ.	6,50,00,000

समूह बीमा योजना 1985

यह योजना प्रदेश के शासकीय सेवकों को कम लागत पर तथा पूर्णतः अंशदायी स्ववित्त पोषण आधार पर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी सहायता के लिए बीमा सुरक्षा तथा उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एकमुश्त राशि के संदाय का दोहरा लाभ प्रदान करता है।

वर्ष 2017 से इस योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से चतुर्थ श्रेणी हेतु रू. 180/– तृतीय श्रेणी हेतु रू. 300/– द्वितीय श्रेणी हेतु रू. 360/– एवं प्रथम श्रेणी हेतु रू. 480/– का कटौत्रा किया जाता है तथा सेवाकाल में मृत्यु की दशा में क्रमशः श्रेणीवार राशि रू. 1,80,000/–, 3,00,000/–, 3,60,000/–, एवं 4,80,000/– की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति की स्थिति में बचत निधि की राशि का भुगतान समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार मय ब्याज किया जाता है।

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, तृतीय तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–एक – सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक 422/640/2022/स्था./चार, दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ कार्यालय को दिनांक 30.01.2023 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में पेंशन तथा वेतन निर्धारण, अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के लेखांकन एवं संधारण के कार्य शामिल हैं ।

1.1 स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार हैः–

संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय के स्वीकृत पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
1	संचालक	अखिल भारतीय सेवा का वेतनमान	1
2	वित्त नियंत्रक	लेवल–16	1
3	अपर संचालक	लेवल–15	1
4	संयुक्त संचालक	लेवल–14	2
5	उप संचालक	लेवल–13	1
6	सहायक संचालक	लेवल–12	4
7	प्रोग्रामर	लेवल–12	2
8	स्टेनो ग्रेड–1	लेवल–10	1
9	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	लेवल–9	5
10	सहायक प्रोग्रामर	लेवल–9	4
11	स्टेनोग्राफर–2	लेवल–9	1
12	अधीक्षक	लेवल–8	1
13	सहायक ग्रेड–1	लेवल–7	4
14	स्टेनोग्राफर–3	लेवल–7	1
15	सहायक ग्रेड–2	लेवल–6	6
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेवल–5	1
17	सहायक ग्रेड–3	लेवल–4	12
18	स्टेनोटायपिस्ट	लेवल–4	01
19	वाहन चालक	लेवल–4	05
20	दफ्तरी	लेवल–2	01
21	भृत्य	लेवल–2	04
22	वाटरमेन	कलेक्टर दर पर	01
23	फर्राश	कलेक्टर दर पर	01
योग			**61**

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के अंतर्गत संचालित पेंशन, सीजीपीएफ, एवं सीपीएस मॉड्यूल के क्रियान्वयन हेतु निक्सी के माध्यम से कुल 12 तकनीकी सहायक रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1.2 मुख्य कर्त्तव्य :— पेंशन प्रकरणों की समीक्षा एवं नियंत्रण, अंशदायी पेंशन योजना /छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का क्रियान्वयन

1.2.1 पेंशन व वेतन निर्धारण :— राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि का है।

1.2.2 अंशदायी पेंशन योजना :— एन.पी.एस. योजनांतर्गत मूल वेतन का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान एवं अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों को दिनांक 01.04.2019 से तथा राज्य के शासकीय सेवकों को दिनांक 01.04.2022 से 14 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान ट्रस्टी बैंक को नियमित रूप से हस्तांतरित किया जा रहा है।

1.2.3 छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि :— छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता लेखांकन एवं संधारण वित्त विभाग के नियंत्रण में ''संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि'' कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

1.2.4 एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. का चयन— पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के फलस्वरूप दिनांक 01.11.2004 से 31 मार्च 2022 तक एन.पी.एस. योजनांतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा वित्त निर्देश 02/2023 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का चयन का विकल्प दिया गया है जिसके तहत 2,91,745 शासकीय सेवकों /नॉमिनी द्वारा ओ.पी.एस. के विकल्प का चयन किया गया है जिन्हें ओ.पी.एस. योजना का लाभ देने हेतु उनके पी.आर.ए.एन. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि शासन के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा करायी जा रही है।

1.3 उपलब्धियां :—

1.3.1 पेंशन :—

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 के मध्य ''आभार ऑनलाईन पेंशन मैनजमेंट सिस्टम'' के माध्यम से समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेख एवं पेंशन कार्यालयों द्वरा कुल 9182 नियमित प्राधिकार पत्र तथा कुल 4008 पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।

आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य की गई है ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित की जा सके। पेंशन प्रकरणों की सतत् समीक्षा के लिए संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त हेतु तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी हेतु ''आभार पोर्टल'' में लॉगिन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

आगामी 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को SMS के माध्यम से पेंशन दस्तावेजों को अद्यतन करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन तथा जिला कोषालय द्वारा पेंशन प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति की जानकारी भी पेंशनर को SMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 08/2024 द्वारा शासकीय सेवकों पर आश्रित संबंधियों के लिए आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि की जा कर रुपये 7750/– प्रतिमाह की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 26/2023 में 31 दिसंबर व 30 जून को सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसके अनुक्रम में समस्त संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालयों द्वारा शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति पर वेतन में काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जा कर/सेवानिवृत्ति लाभों की पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है, तथा पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तैयार कर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों को प्रेषित किये जा रहे हैं। वर्तमान में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा ऐसे पेंशन प्रकरणों के पुरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

1.3.2 वेतन निर्धारण

राज्य गठन के पश्चात् 31 दिसंबर 2024 तक कुल 2,68,827 प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गई है।

1.3.3 पेंशनर कल्याण कोष :—

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में एवं श्रवण यंत्र, दंत व चश्मा के प्रकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष संचालित है। पेंशनर कल्याण कोष में कुल प्राप्त राशि रू. 1,11,10,000 में से आज तक 780 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में 93,57,099/—स्वीकृत किया गया है।

1.3.4 अंशदायी पेंशन योजना

1. दिनांक 01.01.2004 अथवा इसके पश्चात् राष्ट्रीय कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी का मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर 01 अप्रैल 2019 से अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य केन्द्रीय शासकीय सेवकों हेतु तथा राज्य के शासकीय सेवकों हेतु दिनांक 01.04.2022 से शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत प्रदाय किया जा रहा है। एन.पी.एस. योजनांतर्गत दिसंबर 2024 की स्थिति में 470 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

दिनांक 01.11.2004 से 01.04.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए NPS/OPS चयन करने हेतु विकल्प का प्रावधान दिया गया था। जिसके तहत 4,805 शासकीय सेवकों द्वारा NPS योजना में बने रहने का विकल्प चयन किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से इन शासकीय सेवकों हेतु नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत प्रदाय किया जा रहा है।

2. जनवरी 2019 से सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से अंशदान को एनपीएस ट्रस्ट को अपलोड किया जा रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु 01 सितंबर 2019 से Server Integration के माध्यम से ऑनलाईन PRAN(Permanent Retirement Account Number) आबंटन की कार्यवाही किया जा रहा है। अभिदाता कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर जिला कोषालय से ऑनलाईन PRAN आबंटित किया जाता है। Server to Server Integration के माध्यम PRAN आबंटित होने से PRAN एवं एम्पलाई आई.डी. साथ ही ई—कोष साफ्टवेयर में सीधे अपडेट हो जाता है। PRAN के किसी विवरण में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो Annexure-S2 फार्म में जानकारी भर कर संबंधित जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. **एन.पी.एस. खाते का प्रकार — अ.** टियर—1 गैर—निकासी योग्य खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान देगा। **ब.** टियर—2 स्वैच्छिक बचत सुविधा, अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से अपनी बचत वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. **PRAN खाते में अंशदान जमा की प्रक्रिया** — अभिदाता के वेतन से कटौती किये गये कर्मचारी अशंदान को लेखा शीर्ष—8342—00—117—6803 एवं नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष—2071—00—117—6801 से लेखा शीर्ष 8342—00—117—6804 में अंतरण पश्चात् आहरण कर ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जा रहा है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक का कर्मचारी अशंदान को लेखा

शीर्ष–8342–00–117–6803 एवं नियोक्ता का अंशदान चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष–8342–00–117–6804 में जमा किया जाता है । तत्पश्चात् कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की राशि आहरित कर ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाता है।

5. एनपीएस योजनांतर्गत माह दिसम्बर 2024 तक कर्मचारी अंशदान राशि रू. 19,86,17,259 नियोक्ता अंशदान राशि रू 27,74,93,782 इस प्रकार कुल राशि रू. 47,61,11,041 ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जा चुका है।

6. हितधारी – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित हितधारी निम्नानुसार हैं–

अ– एन.पी.एस. के अंतर्गत निधि के विनियमन का कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

ब– एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को नियुक्ति किया गया है ।

स– कस्टोडियन–स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)

द– राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में प्रोटीयन की सेवाऍं ली जा रही है।

ई– फण्ड मैनेजर – एस.बी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड रिटायरमेंट साल्यूशन लिमिटेड, यूटीआई, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड

7. लाभ –

i. एन.पी.एस. के योजनांतर्गत टीयर–1 में पेंशन निधि (Pension Fund) और निवेश पैटर्न (Investment Pattern) के विकल्प में परिवर्तन एवं अंशदन के विलंब से जमा होने के संबंध में वित्त निर्देश 05/2024 दिनांक 07.03.2024 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

ii. मोबाइल एप्प तथा प्रोटीयन की वेबसाइट में लॉग इन करके त्वरित रूप से एनपीएस खाते से संबंधित विवरण

iii. सेवा का क्षेत्र बदलने पर पेंशन निधि में जमा राशि PRAN खाते के साथ स्थानातरित करने का लचीलापन

iv. एन.पी.एस. योजनांतर्गत नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत प्रदाय किया जा रहा है।

v. कर्मचारियों को कर लाभ– अभिदाता अपने टियर–1 खाते में जमा राशि पर निम्नानुसार कर लाभ प्राप्त कर सकता है–

(क) कर्मचारियों का अपना अंशदान धारा 80 सीसीई की 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर, धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कर में छूट

(ख) नियोक्ता का अंशदान– धारा 80 सीसीडी (2) के तहत बिना किसी सीमा के कर में अतिरिक्त छूट

(ग) कर में अतिरिक्त छूट – अतिरिक्त अंशदान करने पर 80 सीसीई के 1.50 लाख की सीमा के अलावा कर में अधिकतम रूपये 50,000/– की छूट 80 सीसीडी 1(B) के तहत प्राप्त होगी।

8. आंशिक आहरण –योजना के न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्यता पश्चात् अभिदाता पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 3 बार स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत राशि का आंशिक आहरण कारण सहित आवश्यक दस्तावेज के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पत्र आवेदन प्रस्तुत कर सकता है फार्म 601pwA (वित्त निर्देश 58/2017)

9. निकासी –

निकासी का प्रकार	अधिकतम एकमुश्त राशि	न्यूनतम वार्षिकी क्रय	100% निकासी हेतु अधिकतम जमा	आवेदन फार्म
सेवानिवृत्ति	60%	40%	5 लाख	101GS
सेवात्याग	20%	80%	2.5 लाख	102GP
मृत्यु	20%	80%	5 लाख	103GD

10. डिफरमेंट – अभिदाता वार्षिकी क्रय हेतु न्यूनतम राशि को 03 वर्ष के लिए तथा अधिकतम एकमुश्त आहरण योग्य राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प यदि चाहे तो दे सकता है। इस हेतु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 15 दिन पूर्व इस आशय का सूचना देना होगा।

11. वार्षिकी क्रय (Annuity Service Providers)– वार्षिकी क्रय हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि का वार्षिकी क्रय करने हेतु PFRDA के द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी से सेवाएं से ली जाती है। ASP की सूची Website पर उपलब्ध है।

12. ऑन लाईन शिकायत (Grievance)– अभिदाता को PRAN खाते से संबंधित यदि को शिकायत हो तो उसके द्वारा स्वयं अथवा डीडीओ के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

1.3.5 छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ::–

–: छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना :–

1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा दिनांक 01.11.2004 नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (सिविल सेवा पेंशन नियम 1976) लागू किया गया है। पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों पर लागू होगा।

2. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 01.04.2022 से समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत एवं अभिदाता के स्वेच्छा के आधार पर अधिकतम (परिलब्धियों तक सीमित) कटौती की जा रही है।

3. वित्त विभाग के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते का आबंटन, लेखांकन एवं संधारण का कार्य संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के द्वारा किया जा रहा है।

4. पुरानी पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप NPS के तहत पंजीकृत लगभग 2,90,953 शासकीय सेवकों का NIC के माध्यम से Bulk में CGPF खाता खोला गया एवं अप्रैल 2022 के वेतन से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अंशदान कटौती प्रारंभ कर दिया गया है।

5. 01 अप्रैल 2022 से या इसके पश्चात् नव नियुक्त शासकीय सेवको का कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन के आधार पर डी.डी.ओ. द्वारा इम्पलाई आईडी आबंटित किया जाता है तथा उसी आधार पर ऑनलाईन जिला कोषालय अधिकारी द्वारा CGPF खाता आबंटित किया जा रहा है। इम्पलाई आईडी एवं CGPF खाता आबंटन पश्चात् वेतन आहरण एवं CGPF अंशदान की कटौती प्रारंभ कर दिया जाता है।

6. दिनांक 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में लगभग 3,13,900 शासकीय सेवकों के CGPF खातों का संधारण संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा किया जा रहा है।

7. दिसंबर 2024 की स्थिति में लगभग 3,23,192 शासकीय सेवकों के CGPF खातों का संधारण संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का ऑनलाईन सी.जी.पी.एफ. लेखा पर्ची जारी किया जा चुका है। सी.जी.पी.एफ. लेखा पर्ची अभिदाता के लिए भी ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है। https://cps.cg.nic.in के लिंक में लॉगइन कर अभिदाता के द्वारा वार्षिक लेखा पर्ची देखा जा सकता है।

8. वित्त निर्देश 10/2023 दिनांक 28.02.2023 एवं वित्त निर्देश 11/2023 दिनांक 28.02.2023 में निहित प्रावधान अनुसार संचालनालय के द्वारा मृत्यु के प्रकरणों में एन.पी.एस. योजनांतर्गत पी.आर.ए.एन. में जमा राशि का समायोजन नॉमिनी के खाते एवं शासन के खाते में किया जा रहा है। वर्तमान में कुल

1060 शासकीय सेवकों का राशि रू. 23,12,27,348.00 नॉमिनी के खाते में तथा राशि 33,56,29,250.00 शासन के खाते में जमा किया जा चुका है।

1.3.6 सूचना का अधिकार– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्य से माह जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक आवेदन पत्रों पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई–

स. क्र..	प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रकार	कुल प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत किये गये आवेदन	कुल आवेदन अस्वीकृत	कुल निराकृत प्रकरण	कुल लंबित प्रकरण
1	ऑफलाईन आर.टी. आई. आवेदन	23	23	0	23	0
2	ऑनलाईन आर.टी. आई. आवेदन	16	16	0	16	0
3	प्रथम अपील आवेदन	0	0	0	0	0
4	द्वितीय अपील आवेदन	0	0	0	0	0

भाग–दो बजट एक दृष्टि में–
बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

दिनांक 31.12.2024
की स्थिति मे

वित्तीय वर्ष 2024–25

मांग संख्या–06, 2054–राजकोष और लेखा प्रशासन

(राशि रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	(6633)	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना	6,68,17,900	2,61,38,446
		योग 2054 –	6,68,17,900	2,61,38,446

मांग संख्या–06, 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

2	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	20,00,000	0
		योग 2235 –	**20,00,000**	**0**

मांग संख्या–06, 2071–पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

3	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	42,00,00,000	26,94,80,751
		योग 2071 –	**42,00,00,000**	**26,94,80,751**

मांग संख्या–06, 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी

4	(6633)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का क्रय)	17,00,000	0
		योग 2274 –	**17,00,000**	**0**

मांग संख्या– मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज संदाय

स. क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	वर्ष 2024–25 हेतु प्रावधान	ब्याज समायोजन राशि (दिनांक 31.12. 2024 तक)
1	6802	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	40,000	0
		योग 2049 –	**40,000**	**0**

भाग–तीन

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

भाग–चारः– सामान्य प्रशासनिक विषय :– निरंक ।

भाग–पांचः – अभिनव योजना :– निरंक।

भाग–छः– विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन :– निरंक ।

भाग–सातः– अन्य विवरण :– निरंक ।

संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

भाग –एक सामान्य जानकारी :–

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है। राज्य से अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त समस्त निगम/ मण्डल /आयोग /अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अभिमत दिया जाता है। अंकेक्षित निकायों के प्रशासकीय विभागों को भी अंकेक्षण की प्रति प्रेषित की जाती है।

02. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा :–

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 922/1825/2019/स्था/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11.10.2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के इंद्रावती भवन स्थित संचालनालय एवं 08 क्षेत्रीय कार्यालयों और उनमें सम्मिलित जिलों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय में सम्मिलित जिलों का नाम	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर	–	74
2	कार्यालय संयुक्त संचालक, रायपुर-I*	रायपुर	51
3	कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर*	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, सक्ती, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	56
4	कार्यालय संयुक्त संचालक, जगदलपुर*	कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, कोण्डागांव	43
5	कार्यालय उप संचालक, राजनांदगांव	राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, खैरागढ़– छुईखदान, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	38
6	कार्यालय उप संचालक, रायगढ़	जशपुर, रायगढ़, सारंगढ–बिलाईगढ,. कोरबा	38
7	कार्यालय संयुक्त संचालक, अम्बिकापुर*	सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़	37

क्रं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय में सम्मिलित जिलों का नाम	कुल पद संख्या
8	कार्यालय उप संचालक, रायपुर-II	महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गरियाबंद	42
9	कार्यालय उप संचालक, दुर्ग	दुर्ग, बेमेतरा	46
		कुल पद संख्या	**425**

टीप– (1)*संयुक्त संचालक कार्यालय स्वीकृत, (2) संयुक्त संचालक(वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद शामिल नहीं है।

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र	पद का नाम	मैट्रिक्स लेवल	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01	01	0
2	अतिरिक्त संचालक	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	02	02	0
3	संयुक्त संचालक	लेवल–14	प्रथम श्रेणी	06	04	02
4	उप संचालक	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	12	12	0
5	सहायक संचालक	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	34	27	07
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	लेवल–08	तृतीय श्रेणी	87	72	15
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01	01	0
8	अधीक्षक	लेवल–09	तृतीय श्रेणी	01	0	01
9	सहायक अधीक्षक	लेवल–08	तृतीय श्रेणी	01	0	01
10	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड 1	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	04	02	02
11	स्टेनोग्राफर	लेवल–07	तृतीय श्रेणी	01	01	0
12	सहायक संपरीक्षक	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	170	78	92
13	लेखापाल	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	01	0	01
14	सहायक ग्रेड 2	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	15	07	08
15	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेवल–06	तृतीय श्रेणी	11	01	10
16	सहायक ग्रेड 3	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	27	08	19
17	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल–04	तृतीय श्रेणी	05	02	03
18	वाहन चालक	लेवल–04	चतुर्थ श्रेणी	09	04	05
19	भृत्य	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	29	07	22
20	चौकीदार (अस्थाई)	लेवल–01	चतुर्थ श्रेणी	08	0	08
	योग			**425**	**229**	**196**

टीप –संयुक्त संचालक (वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद शामिल नही है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 13326 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर–I, रायपुर–II, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्रांतर्गत स्थित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

03. **छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य** :– छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य निम्नानुसार हैं :–

- छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय–समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम के अधीन अंकेक्षणाधीन घोषित समस्त स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित करना।
- ऐसी सभी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य संपादित करना जिनके अंकेक्षण किसी ऐसे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, जिसके अनुसार ऐसी संस्थाओ का गठन किया गया हो, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किया जाना उपबंधित हो।
- ऐसे सभी स्थानीय प्राधिकरणों तथा निगमित और गैर निगमित निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को, राज्य शासन के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति पर, ऐसी किसी भी अन्य संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण करना होता है जो शासन द्वारा समय–समय पर सौंपी गयी हो।
- छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य के आधार पर स्थानीय निकायों पर अंकेक्षण शुल्क आरोपित कर शासकीय कोष में जमा कराना।
- निकायों के अंकेक्षण कार्य के पश्चात् समक्ष आई वित्तीय अनियमितताओं को संकलित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के उद्‌देश्य से प्रतिवेदन प्रसारित करना।
- प्रभक्षण, वित्तीय कदाचार आदि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष प्रतिवेदन निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभाग की ओर प्रेषित करते हुए महालेखाकार को भी सूचित करना।
- स्थानीय निकायों एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं नगर पालिक निगम रायपुर तथा इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन का प्रमाण पत्र जारी कर निराकरण करना।
- अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर प्रसारण उपरांत आक्षेपों के निराकरण हेतु चार माह बाद आगामी अभ्युक्तियॉ जारी करना।
- स्थानीय निकायों के वित्तीय नियमों के परिपालन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- स्थानीय निकायों के प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों की घोर उपेक्षा किये जाने के फलस्वरूप निकाय निधि से हुये दुर्व्यय या दुरूपयोजन की पूर्ति संबंधित

प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10, 11, 12 एवं 13 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करना।

04. प्रशिक्षण :—संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय—समय पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :—

1. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 26.02.2024 से 01.03.2024 तक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक अकादमी, निमोरा, रायपुर से दिनांक 04.11.2024 से 13.12.2024 तक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

क्रमांक	दिनांक	संख्या
1	26.02.2024 से 01.03.2024	12
2	01.04.2024 से 31.12.2024	06

2. कार्यालय महालेखाकार परिसर में समस्त ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं सहायक संपरीक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें विभागीय अधिकारियों सहित ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं सहायक संपरीक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	दिनांक	संख्या
1	23.12.2024 से 24.12.2024	32

05. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन :—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा — 18 एवं धारा "क" के अंतर्गत इस संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए अग्रानुसार अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति किये गये है।

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत् विभाग में प्राप्त आवेदनों का यथा समय निराकरण किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 18 प्रकरण प्राप्त हुये तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस वर्ष 04 प्रकरण प्राप्त हुआ। उक्त सभी प्रकरणों का यथा समय निराकरण कर दिया गया है।

06. दक्षता संपरीक्षा (Performance Audit):—

विगत कुछ वर्षो में विकास कार्यो तथा कल्याणकारी गतिविधियों के संदर्भ में न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि कुछ बड़े स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित तथा गैर निगमित निकायों के द्वारा भी किए जा रहे शासकीय व्यय के स्वरूप में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा अपने नियमित अंकेक्षण के साथ—साथ छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल, 2004 में दिए प्रावधानों अंतर्गत, दक्षता संपरीक्षा का कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों में प्रचलित योजनाओं के दक्षता लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर योजना लक्ष्यों तथा पुर्वानुमानों के संदर्भ मे वर्ष में योजना व्यय की प्रगति तथा कार्य कुशलता का संपूर्ण

मूल्यांकन करते हुए लाभान्वित वर्गो को प्राप्त हुए लाभ की समीक्षा की जाती है। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा प्रतिवेदनाधीन अवधि में ''स्थानीय नगरीय निकायों में नवीन भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार नवनिर्मित भवनों पर संपत्तिकर निर्धारण एवं निर्धारण से प्राप्त आय'' की दक्षता संपरीक्षा संपादित की गई है।

07. छत्तीसगढ़ विधान सभा के ''पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' की बैठक :—छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के अंकेक्षण उपरांत तैयार कर समेकित प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तक कुल 08 समेकित प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत कराए जा चुके हैं। इन प्रतिवेदनों की प्राप्तियों पर विचार /परीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा में दिनांक 01.05.2018 को ''पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' का गठन किया गया है। दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 की अवधि में समिति की कुल 03 बैठक हुई है जिनमें स्थानीय निकायों की अंकेक्षण उपरांत प्राप्त महत्वपूर्ण कंडिकाओं पर चर्चा की गई।

08. छत्तीसगढ़ पब्लिक फायनेंसियल मैंनेजमेंट एवं एकाउंटेविलीटी कार्यक्रम(CGPFMAP) :—

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है। इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम/नियम/नियमावली में आवश्यक संशोधन, संपरीक्षकों में क्षमता निर्माण, संपरीक्षकों को तकनीकी सहायता/प्रशिक्षण, संपरीक्षा कार्य में नवीन प्रणालियों को अपनाया जाना तथा पायलट ऑडिट संचालित किया जाकर तदानुसार बैकलॉग को समाप्त करने का कार्य सम्मिलित है।

कंसल्टेंट के द्वारा Part-A के अब तक 08 Delivery इसमे पूर्ण किए जाकर अपना प्रतिवेदन दे दिया गया है। Deliverable **1,2,3,4,5,6,7** एवं **8** के प्रशासकीय एवं भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जा चुकी है। तत्पश्चात् Part-B अंतर्गत Hand Holding Support का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। SA **Part-B** Hand Holding Support के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में Key Expert और Non Key Expert मार्गदर्शन को न्यू मैन्युअल के अनुसार कार्य किए जाने एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कंसल्टेंट मेंसर्स एस.के. पाटोदिया एंड एसोसिएट द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेट नियुक्त किया गया है। साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 15/10/2024 को योजना के Restructuring Plan पर चर्चा हेतु आयोजित बैठक के पश्चात् जारी MOM (Minutes of Meeting) में राज्य के ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण वित्त वर्ष 2017—18 से 2021—22 के स्थान पर 'Audit Online' portal (eGramswaraj, MoPR) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अंकेक्षकों के द्वारा वित्त वर्ष

2020–21 से 2023–24 तक के कार्य को परिवर्तित नवीन प्रोटोकॉल में शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब राज्य के ग्राम पंचायतों के Backlog Audit का कार्य CAG Empanelled CA firms से नहीं कराया जाएगा।

9. **विभागीय पदोन्नति / भर्ती** :– विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2024 में की गई पदोन्नति की कार्यवाही अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा में कार्यरत 06 सहायक संपरीक्षकों को ज्येष्ठ संपरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों स्टेनोटायपिस्ट हिंदी के 3 पद, स्टेनोग्राफर के 1 पद कुल 4 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण की गई।

वर्ष 2024 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त 3 सहायक संचालकों की पूर्ति हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया एवं विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले 148 रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की ओर पत्र क्रमांक 380 / 2022 / 1836 दिनांक 04.12.2024 द्वारा प्रेषित किया गया है।

10. **विभागीय कम्प्यूटरीकरण** (eCSA) :–छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के कार्यों यथा–अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, आपत्तियों के संग्रहण, अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण, अंकेक्षण संबंधी अन्य MIS तैयार करने जैसे कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। यह कार्य NIC के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में विभागीय वेबसाईट www.csa.cg.nic.in के अलावा पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के अंकेक्षण आपत्तियों के इनपुट फार्मेट एवं आउटपुट फार्मेट विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों, मण्डी बोर्ड, विश्वविद्यालयों, जीवनदीप समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला / राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, इं.गां.कृ.विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कामधेनु विश्वविद्यालय में अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों के फार्मेट भी विकसित किए जा चुके हैं। विभागीय वेबसाईट माध्यम से उक्त निकायों का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रसारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

11. **ऑडिट ऑनलाईन साफ्टवेयर में पंचायतों के संपरीक्षा कार्य** :–भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एवं निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल अधिकारी है तथा आडिट कार्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा संचालक की है।

राज्य के 30 जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों एवं 11,660 ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से संपादित कार्यों के लेखाओं का अंकेक्षण ऑडिट ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है।

12. **वेतन निर्धारण एवं सत्यापन प्रकोष्ठ** :–वित्त विभाग छ.ग. शासन के परिपत्र क्रमांक क्रमांक 1533 / एल11–2 / वित्त / 2010 / बजट–4 / चार, रायपुर, दिनांक 13.10.2011 एवं 788 / एफ–01002199 / एल–11–2 / ब–4 द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम / मण्डल / आयोग / अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशानुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों,

निगमों, मंडलों एवं आयोगों एवं अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों का निर्धारण एवं सत्यापन का कार्य संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) में **कुल 9,879** वेतन निर्धारण प्रकरणों का सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कुल **886** पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

13. **विधानसभा प्रकोष्ठः**—संचालनालय स्थित विधान सभा प्रकोष्ठ के द्वारा नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के संपादित संपरीक्षा का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से विधान सभा में प्रस्तुत कराया जाता है। इस प्रतिवेदन पर छत्तीसगढ़ महालेखाकार द्वारा Peer Review (सहकर्मी समीक्षा) ली गई है। संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु गठित विधानसभा समिति के निर्देशानुसार मौखिक साक्ष्य हेतु आपत्तियों का चयन तथा आपित्तयों के निराकरण, साक्ष्य अभिलेखों का संधारण आदि की कार्यवाही भी इस प्रकोष्ठ के द्वारा की जाती है।

14. **विश्वविद्यालय प्रकोष्ठः**—छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल, 2023 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुमोदन संचालनालय के द्वारा किया जाना है इस हेतु संचालनालय में विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत संपरीक्षित समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर, अनुमोदित कराया जाता है एवं इस अनुमोदित प्रतिवेदनों का प्रसारण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किया जाता है।

15. मानव कार्य दिवस की स्थिति :—

अ वित्तीय वर्ष 2023—24 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः—

01.04.2022 को अवशेष	2023—24 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2023—24 में संपादित कार्य (31.03.2023 तक)	31.03.2023 को अवशेष
9,31,860	50,554	9,82,414	37,684	9,38,475

ब वित्तीय वर्ष 2024—25 (31.12.2024 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः—

01.04.2023 को अवशेष	2024—25 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2024—25 में संपादित कार्य (31.12.2024 तक)	31.12.2024 को अवशेष
9,38,475	50,937	9,89,412	31,389	95,8023

16. संपरीक्षा शुल्क :–

अ. 2023–24 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	2023–24 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2023 तक)	दिनांक 31.03. 2023 को अवशेष
23,57,37,766	3,53,83,925	27,11,21,691	3,71,89,216	23,28,73,613

ब. 2024–25 (31.12.2024 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	2024–25 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2024 तक)	दिनांक 31.12. 2024 को अवशेष
23,28,73,613	1,87,53,107	25,16,26,720	1,32,56,336	23,83,70,384

17. संपरीक्षा प्रतिवेदन :–वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 (31.12.2024 तक) में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

अ वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थीः–

01.04.2022 को प्रसारण हेतु अवशेष	2023–24 में (31.03.2023 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2023–24 में (31.03.2023 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2023 को प्रसारण हेतु अवशेष
34	10,356	10,390	10,356	34

ब वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :–

01.04.2023 को प्रसारण हेतु अवशेष	2024–25 में (31.12.2024 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2023–23 में (31.12.2024 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2024 को प्रसारण हेतु अवशेष
34	15,114	15,148	15,095	53

18. निराकृत आपत्तियां :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 (31.12.2024 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थीः–

अ. वित्तीय वर्ष 2023–24 की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि रूपये में
5,50,232	1,36,591	6,86,823	680	6,86,143	3,25,04,93,20,526

ब. वित्तीय वर्ष 2024–25 (31.12.2024 तक) की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि रूपये में
6,86,143	86,066	7,72,209	2712	7,69,497	3,38,15,37,90,996

19. प्रभक्षण :–

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :–

दिनांक 31.12.2024 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि रूपये में
1,780	8,72,28,644

20. अधिभार :–

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैध व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ. वित्तीय वर्ष 2023–24 की स्थिति में :–

क्र	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रूपये में	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रूपये में
1	अधिभार आरोप पत्र	18	13,60,105	0	18	13,60,105
2	अधिभार सूचना	9	2,01,056	0	9	2,01,056
3	अधिभार आदेश	30	4,33,820	0	32	4,33,820
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	25	1,62,614	0	25	1,62,614

ब. वित्तीय वर्ष 2024–25 (31.12.2024 तक) की स्थिति में :–

क्र	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रूपये में	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रूपये में
1	अधिभार आरोप पत्र	18	13,60,105	0	18	13,60,105
2	अधिभार सूचना	9	2,01,056	0	9	2,01,056
3	अधिभार आदेश	30	4,33,820	0	30	4,33,820
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	25	1,62,614	0	25	1,62,614

21. राजस्व मांग वसूली :–विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपयें 1,23,87,06,761.00 तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024) में राशि रूपये 75,47,77,227.00 वसूली हेतु शेष थी।

22. अग्रिम :–

अ. वित्तीय वर्ष 2023–24 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 21,50,58,086 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु शेष रहा।

ब. वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024) की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 7,54,57,912 समायोजन/वसूली हेतु शेष है। वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया।

23. ऋण :–

अ. वित्तीय वर्ष 2023–24 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 9,68,29,82,010 का ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष था।

ब. वित्तीय वर्ष वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 37,10,41,000 ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष है ।

24. अनुदान :–

अ. वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/ विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि रूपये 9,86,91,09,987 अवशेष होना पाया गया।

ब. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि रूपये 12,16,86,31,749 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

25. निक्षेप :–

अ. वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रूपये 1,79,92,76,133 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया ।

ब. वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रूपये 5,57,42,033 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

भाग – दो

बजट :–छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2024 तक कुल राशि रूपये 17.19 करोड़ व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :–संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

संचालनालय संस्थागत वित्त

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए चतुर्थ तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये हैं :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुड़े कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, अतः संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 18.12.2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 180 लाख (Source-https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics) से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनो महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में **नवम्बर 2024** तक PMJJBY के अंतर्गत 59.49 लाख, PMSBY के अंतर्गत 138. 48 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत दिनांक 30.11.2024 की स्थिति में राज्य के 12.86 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है। (Source-SLBC)

सम्पूर्ण भारत में प्रधान मंत्री जनधन योजना अंतर्गत 44.89 प्रतिशत (जनगणना 2011 अनुसार दिनांक 25.12.2024 की स्थिति में–https://pmjdy.gov.in/account) से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले गये हैं, जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के 70.96 प्रतिशत से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत भारत में जनसंख्या अनुसार 40.13 प्रतिशत से अधिक लोग लाभान्वित है जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या अनुसार 54.30 प्रतिशत लोग लाभान्वित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जनसंख्या अनुसार भारत में 18.33 प्रतिशत हितग्राही हैं जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य जनसंख्या अनुसार में 26.34 प्रतिशत से अधिक हितग्राही हैं।

02. अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज की सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. किसान विकास पत्र
2. राष्ट्रीय बचत पत्र
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट एवं ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख–रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

03. संचालनालय का प्रशासकीय ढ़ॉचा–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान लेवल	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	01	–	–
2.	अतिरिक्त संचालक	15	01	01	–	–
3.	संयुक्त संचालक	14	01	01	–	–
4.	प्रोग्राम आफिसर (ईएपी)	14	01	01	–	–
5.	उप संचालक	13	01	01	–	–
6.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	12	01	01	–	–
7.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	9	01	–	01	–
8.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	9	04	04		4 डाईंग कैडर
9.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9	01	01	–	–
10.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	7	01	01	–	–
11.	लेखापाल	6	01	–	01	–
12.	सहायक वर्ग–2	6	01	01	–	–
13.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	6	03	03	–	–
14.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	5	01	01	–	1 डाईंग कैडर
15.	सहायक ग्रेड–3	4	03	02	01	1 डाईंग कैडर
16.	वाहन चालक	4	03	02	01	1 डाईंग कैडर
17.	भृत्य	1	03	03		
18.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	01	–	–
	योग		**29**	**25**	**04**	

वित्त विभाग के पत्र क्र. 1061/1775/ 2018/स्था/चार, दिनांक 20.08.2019 द्वारा डाटा एण्ट्री आपरेटर के 01 पद को समर्पित करते हुए सहायक प्रोग्रामर का 01 पद सृजन करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। प्रोग्राम आफिसर (ईएपी), प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रटर, स्टेनोग्राफर वर्ग–3, भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

भाग–2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

- विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकड़े लाख रू. में) (31 दिसंबर 2024 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	188.50	108.42	80.08
02	मजदूरी #02	3.00	1.93	1.07
03	यात्रा भत्ता #03	6.00	0.40	5.60
04	कार्यालय व्यय #04	18.85	6.78	12.07
05	प्रशिक्षण #05	1.00	0.00	1.00
06	व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां #10	12.00	0.8	11.20
07	अनुरक्षण पर व्यय एवं उपकरण #24	1.20	0.00	1.20
	योग–	**230.55**	**118.33**	**112.22**

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबद्व कार्यालय
2435–अन्य कृषि कार्यक्रम
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

(आंकड़े लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	2,700.00	0.00	2,700.00
02	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना –0101–8671	0.01	0.00	0.01
03	7153–राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद	25.00	0.00	25.00

स.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबद्व कार्यालय
7836–अल्प बचत

- विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकड़े लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	124.90	71.60	53.30
02	यात्रा भत्ता #03	1.05	0.33	0.72
03	कार्यालय व्यय #04	5.65	0.98	4.67
	योग–	**131.60**	**72.91**	**58.69**

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :–

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंक सुविधा रहित ग्रामों की संख्या में वृद्धि हुई है। सितम्बर, 2024 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,509, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 920 एवं शहरी क्षेत्रों में 1,020 कुल 3,449 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंकों को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध सितम्बर, 2024 में 80.30% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध सितम्बर, 2024 में 50.74% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध सितम्बर, 2024 में 18.08% हुआ है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 12% के विरूद्ध सितम्बर 2024 में 14.74% हुआ है। (Source-SLBC data)
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 33 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का गठन किया गया है, जिनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 05 उपसमितियां भी हैं जो विभिन्न विषयों (वित्तीय समावेशन, कृषि, शासन प्रायोजित योजनाएं, डिजिटल भुगतान, स्टीयरिंग समिति) पर गठित की गई हैं।
3. बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :– शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जिस हेतु वसूल की गई राशि का 2.5 प्रतिशत राज्य शासन के खाते में जमा किया जाता है।
4. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सेल :– राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को end to end digitization (EED) करने हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे। तद्नुसार विभाग में DBT Cell का गठन किया गया है। यह Cell DBT मिशन, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं को EED करने हेतु अपना योगदान दे रहा है साथ ही DBT भारत पोर्टल पर इन

योजनाओं से संबंधित जानकारी अंकित करने का कार्य सम्पादित कर रहा है। राज्य में कुल 84 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं 98 राज्य प्रवर्तीत योजनाएं DBT के अंतर्गत चिन्हित किये गये हैं।

5. वर्ल्ड बैंक सहायित Chhattisgarh Public Financial Management and Accountability Programme (CGPFMAP) के अंतर्गत राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। अतएव कार्यालय द्वारा वर्ल्ड बैंक एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। विभाग द्वारा इस हेतु Project Management Consultant के रूप में KPMG संस्था का चयन किया गया है। साथ ही किये गये कार्यों के सत्यापन हेतु AMS Lucknow को Independent Verification Agency के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना की कुल लागत राशि रुपये 250.00 करोड़ है, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक द्वारा राशि रुपये 175.00 करोड़ का लोन स्वीकृत किया गया है। इस योजना में वित्त विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय एवं प्रशासन विभाग सम्मिलित हैं। योजना के अंतर्गत कुल 34 लक्ष्य है। वर्तमान में यह योजना 31 मार्च 2025 तक क्रियान्वित है।

6. पीपीपी (Public Private Partnership Project) :— पीपीपी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओ के बीच एक संरचित भागीदारी व्यवस्था है जो भागीदारों के बीच संसाधनों, जोखिम और प्रतिफल का समुचित आवंटन इस तरह करती है ताकि पूर्व निर्दिष्ट परिणामों को संचिदागत ढांचे के द्वारा जनता के पैसे के उचित मूल्य के अनुरूप प्राप्त किया जा सकें। इस व्यवस्था के तहत बुनियादी परिसंपत्ति या सुविधा या संबंधित सेवाओ के संबंध में निजी संस्थाएं डिजाइनिंग, वित्त पोषण, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन या इन गतिविधियों में से कुछ का संयोजन, पूर्व निर्धारित मानदंडो के अनुसा, पूर्णतः या अंशतः करती है इन विशेषताओं और मानको के अनुरूप उपलब्धि का सत्यापन एवं सार्वजनिक इकाई या उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पीपीपी से संबंधित कार्य करने तथा राज्य सरकार के अधोसंरचना कार्य करने वाले संबंधित विभागों एवं भारत सरकार से समन्वय करने हेतु संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त छ0ग0 को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा वर्तमान में सभी विभागों से पूर्ण, प्रक्रियाधीन एवं नवीन पीपीपी योजनाओं की जानकारी एकत्र एवं संकलित की जा रही है।

7. पी.एफ.एम.एस.(पब्लिक फाइनेशिंयल मैंनेजमेंट सिस्टम) जिसे मुख्यतः सी.पी.एस.एम.एस. (सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम) भी कहा जाता है। यह सी.जी.ए.(कंट्रोलर जनरल ऑफ अकांउट) के अंतर्गत वेब आधारित ऑनलाईन पोर्टल है। इस पोर्टल के द्वारा भारत शासन के अंर्तगत विभिन्न मंत्रालयो द्वारा विभिन्न राज्यों / केन्द्रशसित प्रदेशो को विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। वर्तमान में पी.एफ.एम.एस., एस.एन.ए. मॉडल पर आधारित है, साथ ही एस.एन.ए. SPARSH मॉडल पर कार्य भारत शासन के द्वारा निरंतर प्रगति पर है। पी.एफ.एम.एस. पोर्टल का उपयोग राज्य कोषालय खाते एवं कार्यान्वयन

एजेंसियो के बैंक खातो के माध्यम से निधियो की गणना करके वेंडर/लाभाथिर्यो को डीबीटी और गैर डीबीटी भुगतान हेतु योजना निधि के उपयोग हेतु किया जाता है। तत्संबंध में कृपया अवगत हो कि वर्तमान में प्रचलित एसएनए मॉडल अंतर्गत भारत शासन के आदेशानुसार संबंधित विभागो द्वारा राज्य कोषालय को जारी की गई निधि में केंन्द्रांश एवं राज्यांश को 30 दिनों के भीतर कोषालय से एस0एन0ए0 में निकाला जाना होता है। ऐसा न होने की स्थिति में न निकाले गए केन्द्रांश की निधि पर 7 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान भी है। पी0एफ0एस0एस0 के प्रयोग से कार्य में पारदर्शिता एवं दक्षता आई है। इसी तारतम्य में भारत शासन के आदेशानुसार SNA-SPARSH मॉडल को भी लागू किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 19 विभागों के अंतर्गत 08 योजनाओ को SNA-SPARSH मॉडल अंतर्गत लागू किया जा रहा है, जिसका संचालन संचालनालय संस्थागत वित्त के द्वारा नोडल के रूप में, वित्त विभाग के समन्वय के साथ किया जा रहा है। SNA-SPARSH के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ शीर्ष 05 राज्यों में शमिल है।

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़

महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

वर्ष 2024–25 में कार्यालय की गतिविधियां:–

प्रथम अनुपूरक एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024–25 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया गया। वर्ष 2024–25 का तृतीय अनुपूरक अनुमान तथा वर्ष 2025–26 के मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

संगठनात्मक ढांचा:–

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पद	श्रेणी / संवर्ग	पद संख्या	वेतन लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	–
2.	अपर संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	15
3.	संयुक्त संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	14
4.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	13
5.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	12
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	12
7.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9
10.	सहायक ग्रेड–01	तृतीय श्रेणी	01	9
11.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	6
12.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	01	7
13.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	01	7
14.	सहायक ग्रेड–02	तृतीय श्रेणी	01	6
15.	सहायक ग्रेड–03	तृतीय श्रेणी	03	4
16.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	04	4
17.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	1

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2024—25)

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति में

(राशि रुपये में)

क्र.	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन				वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)
				Main Budget	Supplementary		Total	
					1st	2nd		
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	**7,03,20,000**	**6,00,000**	**0**	**7,09,20,000**	**4,28,25,263**
2	2052	7046	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली 2.0	**1,00,00,000**	**10,00,00,000**	**0**	**11,00,00,000**	**0**
3	4070	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	**14,00,000**	**0**	**0**	**14,00,000**	**0**
			योग	**8,17,20,000**	**10,06,00,000**	**0**	**18,23,20,000**	**4,28,25,263**

(शीर्ष 06—2052—00—091—0000—4295—01—020 त्यौहार अग्रिम, 021 त्यौहार अग्रिम वापसियां, 022 अनाज अग्रिम, 023 अनाज अग्रिम वापसियां, वास्तविक व्यय में शामिल नहीं किया गया है।)

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत वर्ष 2024 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
(1)	(2)	(3)
	निरंक	